न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व प्रार्थना संख्या 62/2013 **RCMS 2013/00033**

प्रार्थी

1. रूड़की बेवा नंदकिशोर जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर

प्रार्थना–पत्र बाबत गलती दुरूस्त कराने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।
तहसीलदार कुचामनसिटी

आदेश

दिनॉक :– 07.4.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम पनवाड़ी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 1.54 हैक्टर प्रार्थीया की कब्जेसुदा खातेदारी स्थित है, उपर्युक्त भूमि में प्रार्थीया के परिवार सदस्य हेतु रहवासी ढ़ाणी पक्के मकानात बने हुय है, जहॉ वह सपरिवार रह रही है प्रार्थीया की इस भूमि के चारो तरफ पुरानी बाड़ की हुई विद्यमान है, प्रार्थीया ने अपनी भूमि की वांछित तस्दीक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी को कहा तो उन्होने मना कर दिया और प्रार्थीया की खातेदारी की इस भूमि को सरकारी खाते में सिलिंग में अवाप्त होना बताया, जबकि प्रार्थीया की उक्त भूमि कभी भी पूर्व राजा प्रतापसिंह की खातेदारी काश्त की भूमि नही नही है, सम्वत 2047 से 2050, 2055, 2056 से 2059 तक उक्त भूमि प्रार्थीया के नाम बतौर खातेदारी की दर्ज रही है, उसके बाद जो खतौनी कायम हुई उसमें प्रार्थीया खातेदार की जगह व सिलिंग प्रकरण में सिवाय चक खतौनी के कॉलम संख्या 4 में दर्ज किया गया जो कतई गलत व अवैध है, ताबाद वादिया ने आवश्यक नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि नामान्तरकरण संख्या 140 के आधार पर वादिया प्रार्थीया का नाम रेकर्ड खतौनी से हटा[illegible] नामान्तरकरण संख्या 140 के विशेष कॉलम में माननीय न्यायालय ए.डी.एम साहब [illegible] द्वारा सीलिंग प्रकरण के निर्णय दिनॉक 19.04.2002 को पालना [illegible] गया है, जबकि उक्त नामा. स्वीकृत करने की कोई सूचना [illegible] कभी नही हुई, प्रार्थी/वादी ने उपर्युक्त नामान्तरकरण मे वर्णित अदालत के निर्णय की प्रतिलिपि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि न्यायालय ए.डी. एम. कोर्ट नागौर के उपरोक्त निर्णय की पालना भी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्थगित की जा चुकी है, प्रार्थीया खातेदार को किसी भी राजस्व न्यायालय तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर जिला कलक्टर एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:41:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व मण्डल के यहॉ किसी भी प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है, माननीय न्यायालय ए.डी.एम.नागौर द्वारा सादिर निर्णय मे भी प्रार्थीया खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 232 रकबा 1.54 हैक्टर का वर्णन ही नही है, प्रार्थीया के खातेदारी के खसरा नम्बर 232 के बाबत किसी भी न्यायालय द्वारा कोई निर्णय खातेदारी समाप्त करने का नही हुआ है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया खातेदार के अधिकार बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के केवल मात्र नामान्तरकरण सं. 140 में पटवारी हल्का की गलती से प्रार्थीया के खातेदारी के खसरा नम्बर 232 का विवरण अंकन कर दिया गया और बिना भौतिक जांच के उक्त नामान्तकरण स्वीकृत कर देने मात्र से प्रार्थीया के जायज अधिकार कतई समाप्त नही किए जा सकेत, प्रार्थीया की इस्तदुआ है कि ग्राम पनवाड़ी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 1.54 हैक्टर का सरकारी खाते से हटाकर प्रार्थीया के नाम पूर्ववत इन्द्राज माफिक खाते में कायम किया जावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल उपलब्ध है, जवाब अनुसार ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 232 रकबा 1.54 हैक्टर भूमि सीलिंग कार्यवाही में अधिग्रहित की जाकर जरिये नामा. सं. 140 राजकीय दर्ज की गई है, सीलिंग प्रकरण संख्या 47/87 सरकार बनाम प्रतापसिंह के निर्णय दिनॉक 19.04.2002 में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा सीलिंग मे गणन योग्य निर्धारित द्वारा धारित मानी जाकर अधिग्रहण किये जाने के आदेश प्रदान करने पर उक्त नामा. के द्वारा राजकीय दर्ज की गई है, विधिक प्रक्रियान्तर्गत राजकीय दज्र की गई है, सीलिंग कार्यवाही में अन्तरित की सुनवाई किये जाने के प्रावधान नही है, सीलिंग प्रकरण में पारित आदेश के विरूद्व अपील के प्रावधान है राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रावधान नही है, उक्त प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होने से अस्वीकार है, प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम पनवाड़ी की जमाबंदी खेवट खतौनी सम्वत 2012–2015, 2020–2023, 2028–2031, 2031–2034, जमाबंदी नकल 2020–2023, 2035–2038, 2039–2042 2047–2056, 2052–2055, 2056–2059, 2060–2063, नामा. सं. 140, 52, की नकल,खसरा नम्बर 232 की नकल की छाया प्रति, गिरदावरी नकल 2036–2039, 2040–2043 की नकल, सीलिंग प्रकरण 03/2003 30.07.02 की नकल, सीलिंग प्रकरण 47/87, 9/79 हरीसिंह बनाम प्रतापसिंह वगैरह की नकल प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:41:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई तथा तहसीलदार कुचामनसिटी की बहस सुनी गई, प्रार्थना–पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया गया है, प्रार्थीया के नाम नामा. सं. 52 सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी नावां द्वारा नियमन योग्य होने से स्वीकार कर खातेदारी अधिकार दिये गये है, माननीय न्यायालय अपर कलक्टर महोदय नागौर के आदेश दिनॉक 11.4.2002 एवं 19.04.2002 के अुनसार राजा प्रतापसिंह की भूमि सिलिंग सीमा में होने के कारण आदेश जारी हुये, उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार कुचामनसिटी ने जरिये

उपखण्ड अधिकारी

नामान्तरकरण संख्या 140 दिनॉक 05.02.2003 को स्वीकृत किया, उक्त नामान्तकरण से राजकीय खाते में दर्ज हुई है, वर्तमान में उक्त भूमि राजकीय खाते में दर्ज है। प्रार्थीया को उक्त माननीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर नागौर के उक्त निर्णय की सक्षम न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की श्रेणी में नही आता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया काबिल खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया साबित नही होने से खारिज किया जाता

आदेश आज दिनॉक 07.4.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:41:03 IST
Reason: SelfAttested